न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
नामान्तरण अपील संख्याः 09/2015
दायर दिनांकः 24.03.2015
निर्णय दिनांक 04.11.2024

—:अनवानः—

1. सुरेन्द्रसिंह पिता बजरंगसिंहजी राजपूत, निवासी सानिया, तहसील डीडवाना जिला नागौर
2. मदनसिंह पिता जसवन्तसिंहजी राजपूत, निवासी उदयपुर शेखावटी जिला झुन्झुनू
3. जगदीश सिंह पिता गोपालसिंहजी राजपूत, निवासी मुण्डोता, तहसील परबतसर जिला नागौर
4. श्रीमती कमला कंवर पत्नी जगदीश सिंह जी
5. गटु कुंवर पिता जगदीशसिंह जी
6. शेरसिंह पुत्र जगदीशसिंह
7. रेणु कंवर पुत्री जगदीशसिंह उम्र 17 वर्ष, नाबालिग जरिये सरक्षक मात्ता कमला कंवर

अपीलान्ट संख्या 4 से 7 सभी निवासी मुण्डोता, तहसील परबतसर जिला नागौर

— अपीलान्टगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये श्री तहसीलदार, राजसमन्द
2. श्री नवलराम पिता श्रीलाल पालीवाल ब्राहम्ण
3. श्री भवरलाल पिता श्रीलाल पालीवाल
4. हगामी बाई पत्नी श्रीलालजी पालीवाल

सभी निवासी जावद तहसील व जिला राजसमन्द

— रेस्पोडेन्टगण

अपील विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द नामान्तरण संख्या 927 दिनांक 14/09/2010 से व्यथित होकर
अपील विरूद्ध धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—

1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलांट
2— श्री अनील बागोरा, राज0अधि0, रेस्पोडेन्ट संख्या 01
3— रेस्पोडेन्ट संख्या 02 अनुपस्थित
4— श्री श्याम सुन्दर पालीवाल, अधि0, रेस्पोडेन्ट संख्या 03,04

न्यायालय जिला कलक्टर

–:: निर्णय ::–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व ग्राम जावद पटवार हल्का, घोइन्दा में स्थित आराजी नम्बर 860/4 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि का नामान्तरण विक्रय पत्र दिनांक 12/06/2000 के आधार पर फैसल न कर श्रीलाल के वारिसान के नाम पर उक्त नामान्तरण फैसल किया गया है, वह अवैध एवं विधि विरूद्ध होकर क्षेत्राधिकार से परे हैं। तहसीलदार को उक्त विक्रयपत्र के आधार पर नामान्तरण फैसल करना था फिर भी तहसीलदार द्वारा नामान्तरण फैसल नहीं किया गया जो अवैध व विधि विरूद्ध है। वारिसान, के नाम पर विक्रय पत्र के अलावा शेष भूमि का नामान्तरण ही फैसल करने का दायित्व एवं अधिकार तहसीलदार को था। विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण अपीलान्ट के नाम पर दर्ज करना था जो नहीं किया गया। तहसीलदार द्वारा भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं की गयी। भू राजस्व अधिनियम एवं उसके तहत बनाये गये नियमों के तहत विकयपत्र निष्पादन एवं पंजीयन होने के बाद विक्रयपत्र के अनुसरण में नामान्तरण फैसल करने का दायित्व संबंधित राजस्व अधिकारी तहसीलदार का रहता है लेकिन तहसीलदार द्वारा उक्त दायित्व की पालना नहीं की गयी व विक्रय पत्र के अनुसरण में नामान्तरण नहीं खोला गया जबकि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के नियम 142 के प्रावधानों के तहत विकयपत्र निष्पादन होने के बाद प्रत्येक विक्रय पत्र की प्रति उप पंजीयक द्वारा संबंधित तहसीलदार को नामान्तरण की कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है और उप पंजीयक द्वारा उक्त नियमों की पालना आज्ञापक रूप से की जाती है लेकिन तहसीलदार को उक्त दस्तावेज प्राप्त होने के बाद भी तहसीलदार द्वारा संबंधित पटवारी हल्का को नामान्तरण भरकर फैसल करने का न तो आदेश दिया है न ही उपरोक्त नियमों की पालना में नामान्तरण फैसल किया गया है। इस संबंध में राजस्व मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर परिपत्र एवं अधिसूचना जारी कर राजस्व अधिकारी को निर्देशित भी किया गया है लेकिन संबंधित अधिकारियों द्वारा इसकी पालना नहीं की गयी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उपरोक्त नियमों के परिप्रेक्ष्य में जो नामान्तरण श्रीलाल की मृत्यु के बाद फैसल किया गया है वह अपीलान्ट के पक्ष में विक्रय की गयी भूमि का नामान्तरण भी श्रीलाल के वारिसान के नाम पर दर्ज कर नामान्तरण फैसल करने में भारी विधिक भूल की हैं। विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण खोलने का दायित्व तहसीलदार राजसमन्द का था लेकिन उसके द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण फैसल न कर वारिसान उत्तराधिकारी के नाम पर नामान्तरण फैसल करने में भारी विधिक भूल की है और उक्त आदेश जो अवैध व विधि विरूद्ध होकर क्षेत्राधिकार से परे है। तहसीलदार को नामान्तरकरण निर्णित करने का अधिकार नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 के पूर्वाधिकारी ने अपीलान्ट संख्या 1 से 3 तथा 4 से 7 के पिता व पति के पक्ष में जो विक्रयपत्र निष्पादित किया है, उक्त आराजी में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 का कोई हक अधिकार नहीं रहता है क्योंकि भूमि विकयपत्र के जरिये श्रीलालजी द्वारा अन्तरण कर ली गयी। केवल नामान्तरण राजस्व अधिकारी तहसीलदार एवं पटवारी द्वारा नियमों की पालना में भरकर फैसल नहीं किया गया इसलिये श्रीलाल के नाम पर ही भूमि दर्ज रह गयी और उनकी मृत्यु के बाद विरासत के नामान्तरण में उक्त

न्यायालय जिला कलक्टर

भूमि को भी शामिल करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 के नाम पर दर्ज कर दी गयी जबकि उनका उक्त भूमि में न तो कोई हक अधिकार है, न ही सम्बन्ध है। उक्त अवैध नामान्तरकरण को कभी भी चुनौति दी जा सकती है, क्योंकि उक्त नामान्तरकरण आदेश न केवल अवैध है, बल्कि क्षेत्राधिकार से परे है। कानूनन अवैध आदेश, अवैध ही रहता है और उसे कभी भी चुनौति दी जा सकती है, फिर भी मयाद माफी के लिये उक्त प्रार्थनापत्र पेश है। उक्त विक्रयपत्र के आधार पर नामान्तरण फैसल करने का दायित्व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का है जिन्होंने भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं कर विक्रयपत्र के अनुसरण में नामान्तरण नहीं खोला और सीधा विरासत का नामान्तरण फैसल कर दिया गया जबकि श्रीलाल ने उक्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के जरिये विक्रय की थी जिसका नामान्तरण अपीलान्ट के पक्ष में फैसल करना था जो नहीं किया गया है दस्तावेज रजिस्टर्ड दस्तावेज है जिसके फर्जी एवं कूटरचित होने की कोई संभावना नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 के पक्ष में त्रुटिवश नामान्तरण खोला गया है जबकि उनका उक्त भूमि में कोई हक अधिकार नहीं रहता है। श्रीलाल ने अपने जीवनकाल में ही उक्त भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के जरिये अन्तरण कर दी। इस प्रकार तहसीलदार राजसमन्द द्वारा पारित आलोच्य नामान्तरण अवैध व विधि विरूद्ध होकर क्षेत्राधिकार से परे है। अतः प्रार्थना है कि अपीलान्ट की अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आलौच्य नामान्तरण संख्या 927 दिनांक 14/09/2010 को खारिज फरमाया जायें तथा अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र के विक्रित आराजी का नामान्तरण तहसीलदार को निर्णित करने के लिये निर्देशित फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेंटगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 02 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। रेस्पोडेण्ट संख्या 03 व 04 की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर पालीवाल उपस्थित।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण द्वारा जवाब पेश न कर सीधे बहस हेतु निवेदन किया।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने बहस कथन में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व ग्राम जाव्रद पटवार हल्का, घोइन्दा में स्थित आराजी नम्बर 860/4 रकबा 4 बीधा 6 बिस्वा भूमि का नामान्तरण विक्रय पत्र दिनांक 12/06/2000 के आधार पर फैसल न कर श्रीलाल के वारिसान के नाम पर उक्त नामान्तरण फैसल किया गया है, वह अवैध एवं विधि विरूद्ध होकर क्षेत्राधिकार से परे हैं। तहसीलदार को उक्त विक्रयपत्र के आधार पर नामान्तरण फैसल करना था फिर भी तहसीलदार द्वारा नामान्तरण फैसल

न्यायालय जिला कलक्टर

नहीं किया गया जो अवैध व विधि विरूद्ध है। वारिसान, के नाम पर विक्रय पत्र के अलावा शेष भूमि का नामान्तरण ही फैसल करने का दायित्व एवं अधिकार तहसीलदार को था। विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण अपीलान्ट के नाम पर दर्ज करना था जो नहीं किया गया। तहसीलदार द्वारा भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं की गयी। भू राजस्व अधिनियम एवं उसके तहत बनाये गये नियमों के तहत विकयपत्र निष्पादन एवं पंजीयन होने के बाद विक्रयपत्र के अनुसरण में नामान्तरण फैसल करने का दायित्व संबंधित राजस्व अधिकारी तहसीलदार का रहता है लेकिन तहसीलदार द्वारा उक्त दायित्व की पालना नहीं की गयी व विक्रय पत्र के अनुसरण में नामान्तरण नहीं खोला गया जबकि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के नियम 142 के प्रावधानों के तहत विकयपत्र निष्पादन होने के बाद प्रत्येक विक्रय पत्र की प्रति उप पंजीयक द्वारा संबंधित तहसीलदार को नामान्तरण की कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है और उप पंजीयक द्वारा उक्त नियमों की पालना आज्ञापक रूप से की जाती है लेकिन तहसीलदार को उक्त दस्तावेज प्राप्त होने के बाद भी तहसीलदार द्वारा संबंधित पटवारी हल्का को नामान्तरण भरकर फैसल करने का न तो आदेश दिया है न ही उपरोक्त नियमों की पालना में नामान्तरण फैसल किया गया है। इस संबंध में राजस्व मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर परिपत्र एवं अधिसूचना जारी कर राजस्व अधिकारी को निर्देशित भी किया गया है लेकिन संबंधित अधिकारियों द्वारा इसकी पालना नहीं की गयी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उपरोक्त नियमों के परिप्रेक्ष्य में जो नामान्तरण श्रीलाल की मृत्यु के बाद फैसल किया गया है वह अपीलान्ट के पक्ष में विक्रय की गयी भूमि का नामान्तरण भी श्रीलाल के वारिसान के नाम पर दर्ज कर नामान्तरण फैसल करने में भारी विधिक भूल की हैं। विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण खोलने का दायित्व तहसीलदार राजसमन्द का था लेकिन उसके द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण फैसल न कर वारिसान उत्तराधिकारी के नाम पर नामान्तरण फैसल करने में भारी विधिक भूल की है और उक्त आदेश जो अवैध व विधि विरूद्ध होकर क्षेत्राधिकार से परे है। अतः निवेदन है कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार फरमाई जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 03 व 04 ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। प्रकराणाधीन भूमि के संबंध में न्यायालय सहायक कलक्टर राजसमन्द में खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का नियमित वाद विचाराधीन है जिसके मुकदमा संख्या 155/2015 हैं। और तथाकथित विक्रय पत्र जो श्रीलाल जी के द्वारा किया जाना अभिकथित किया जाना बताया है वह अवैध है क्योकि श्रीलाल जी अंधे व बहरे व्यक्ति थें, कानूनन वो विक्रय पत्र निष्पादित करने की स्थिति में नही थें, तथा अपीलांट ने गलत रूप से अवैध विक्रय पत्र को आधार बना वाद एवं उक्त अपील प्रस्तुत की हैं। अपीलांट के विरूद्ध सिविल न्यायालय में विक्रय पत्र निरस्तीकरण बाबत वाद पेश कर रखा है जो वर्तमान में विचाराधीन हैं अतः अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि विक्रय पत्र निष्पादन के 15 वर्षो के पश्चात उक्त अपील पेश की गई हैं। प्रश्नगत नामान्तरण विरासत के आधार पर खोला गया है और उत्तराधिकारीयो की विधिवत जॉच कर उक्त नामान्तरकरण को फैसल किया गया। नामान्तरण एक फिस्क्ल प्रक्रिया है जिससे किसी भी व्यक्ति के हक अधिकारो का निर्धारण नही होता हैं। अपीलार्थी द्वारा विक्रयशुदा भूमि के खातेदारी अधिकारो की घोषणा बाबत अर्न्तगत धारा 88 के तहत न्यायालय सहायक कलक्टर राजसमन्द में वाद दायर कर रखा है, जो वर्तमान में विचाराधीन है जिसके वाद संख्या 155/2015 है। जिसमें अपीलार्थी के हक अधिकारो का निर्धारण किया जाना है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर खारिज किया जाना उचित समझता हूँ।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती हैं।

4/11/24

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 04.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4/11/24

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद